

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥


पटना-15, दिनांक- 28.04.2026

सं0सं0-12 / प्रतिनियुक्ति-2401 / 2026-सा0प्र0- 7470 / विभागीय आदेश सं0-7405, दिनांक-28.04.2026 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं0-23 / 2025 (स्टाफ नर्स) के पद पर चयन/नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन कार्य के निमित्त बिहार प्रशासनिक सेवा के कतिपय पदाधिकारियों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में दिनांक-29.04.2026 से दिनांक-12.05.2026 तक के लिये प्रतिनियुक्त किया गया है।

2. उक्त आदेश के क्रम सं0-2, 8, 11 एवं 18 पर अंकित पदाधिकारी क्रमशः श्री मनोज कुमार, श्री अविनाश कुमार, श्रीमती स्मृति कुमारी एवं श्रीमती रेणु कुमारी को उक्त प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए उनके स्थान पर निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में दिनांक-28.04.2026 से दिनांक-12.05.2026 तक के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	मोबाईल नं0
1	2	3	4
1	श्री गोपाल शरण, 290 / 26, पटना	विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।	9199663364
2	श्रीमती सुषमा कुमारी, 408 / 26, नालंदा	विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	9135079968
3	श्री कृष्णा उराँव, बि0स0से0	उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	9471088955
4	श्रीमती अमिता कान्त, बि0स0से0	उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।	8757789279


3. उक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक-29.04.2026 के पूर्वाहान में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में अपना योगदान देकर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के निर्देशानुसार कार्य करेंगे एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त स्वतः अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान कर लेंगे।


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12 / प्रतिनियुक्ति-2401 / 2026-सा0प्र0- 7470 / पटना, दिनांक- 28.04 / 2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।